(85)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3537–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–02–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण क्रमांक 171/अपील/2013–14 ।

.....

गायत्री बाई पति विष्णु पाटीदार
निवासी ग्राम कैलोदा
तहसील महू जिला इंदौर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–सजनबाई बेवा अम्बाराम नाई
निवासी ग्राम कुवरसी
तहसील व जिला धार म0प्र0
2–गंगाबाई पति हरिराम नाई
निवासी ग्राम सलकनपुर
तहसील व जिला धार
3–नादानबाई पति राधेश्याम गारी
निवासी रंगवासा
तहसील देपालपुर टप्पा बेटमा जिला इंदौर

..... अनावेदकगण

.....

श्री टी0टी0गुप्ता, अभिभाषक–आवेदक
श्री व्ही0के0तारे, अभिभाषक–अनावेदक क्रमांक 1
श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–अनावेदक क्रमांक 2,
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–अनावेदक क्रमांक 3,

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 6/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–02–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक 3 द्वारा तहसीलदार देपालपुर के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कुवंरसी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 761 रकबा 3.732 हेक्टेयर में से 2.217 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से अनावेदिका कमांक 2 से कय की गई है अतः उसका नामान्तरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदिका कमांक 1 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि अनावेदिका कमांक 2 द्वारा बिना किसी दस्तावेज के उसकी भूमि अपने नाम दर्ज करा विक्रय की गई हैं, अतः ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक कमांक 3 का नामान्तरण नहीं किया जा सकता है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–3–13 को आदेश पारित कर अनावेदिका कमांक 1 की आपत्ति स्वीकार कर नामान्तरण आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–1–14 को आदेश पारित कर व्यवहार न्यायालय की डिकी के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 761 पैकि रकबा 2.217 हेक्टेयर के दक्षिण दिशा पर अनावेदक कमांक 2 के स्थान पर अनावेदक कमांक 3 का नामान्तरण प्रमाणित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12–2–15 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति की जॉच तहसीलदार द्वारा कराये जाने पर आपत्ति सही पाये जाने पर तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 3 का नामान्तरण आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

(2) मृतक भूमिस्वामी की अनावेदक कमांक 1 एकमात्र पुत्री होकर प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 2 का नाम राजस्व अभिलेखों में किस आधार पर दर्ज किया गया है ऐसा कोई दस्तावेज अनावेदक कमांक 2 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका है । अतः अनावेदक कमांक 2 द्वारा अधिकारियों से सॉठगॉठ करके विवादित भूमि पर अपना नाम दर्ज कराया गया है जिससे उसे विवादित भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार न्यायालय के जिस आदेश के आधार पर आदेश पारित किंया गया है उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय से निरस्त हो चुका है और प्रकरण विचारण हेतु व्यवहार न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है।

(5) प्रश्नाधीन भूमि पर आज भी आवेदक का कब्जा चला आ रहा है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 प्रश्नाधीन भूमि की एकमात्र भूमिस्वामी है और अनावेदक कमांक 2 द्वारा फर्जी तरीके से प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नाम दर्ज कराकर भूमि विक्रय की गई है ऐसी स्थिति में अनावेदक कमांक 3 केता को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होने के कारण तहसीलदार द्वारा नामान्तरण आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 2, 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 3 द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गई है और पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से भूमि क्रय करने के कारण राजस्व न्यायालय प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांकं 3 का नामान्तरण करने हेतु बाध्य है और यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित किया गया है जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है क्योंकि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में इस सेल डीड की कॉपी पेशी की गई थी, जिसके अनुसार दिनांक 7–3–2011 को सजनबाई ने प्रश्नाधीन भूमि गायत्री को विक्रय कर दी थी । जिसके आधार पर प्रश्नाधीन भूमि भू–अभिलेख में गायत्री के नाम दर्ज होकर ऋण पुस्तिका भी जारी हुई थी जिसकी प्रति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत हुई है । इसके बाद भी तहसील न्यायालय में अथवा अपीलीय न्यायालयों में गायत्रीबाई को आहूत नहीं किया गया है । जब सजनबाई अपना स्वत्व 2011 में ही गायत्री बाई को हस्तान्तरित कर चुकी थी तो व्यवहार न्यायालय में उसे उसी भूमि का राजीनामा करने का कोई हक नहीं था। उसने यह तथ्य व्यवहार न्यायालय से छुपाया । ऐसी स्थिति में अभिलिखित खातेदार को सुने बिना उसके विरूद्ध पारित आदेश अवैध होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–02–2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–2014 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर